

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री कुलदीप सिंह भाटी सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक रामावि गढमोरा करोली को स्वयं की बीमारी के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर/धरेलू परिस्थिति/निजी कारणों से इनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी मा. करोली द्वारा की गयी अभिशंषा दिनांक 01.08.16 के आधार पर निम्नांकित अवधि का निम्न प्रकार से अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.स.	अवकाश का प्रकार	दिनांक से	दिनांक तक	कुल दिवस
1	अवैतनिक असाधारण अवकाश (रासेनि. 96)	01.01.1989	31.08.1990	608

शर्त:-

1. उक्त अवकाश अवधि का यदि वेतन भुगतान कर दिया है, तो वसुली की कार्यवाही कि जावे।
2. असाधारण अवकाश अवधि से वार्षिक वेतन वृद्धि पर नियमानुसार प्रभाव पड़ेगा।
3. अवकाश का इन्द्राज सेवा पुस्तिका में नियमानुसार लाल स्याही से किया जावे।

(जगदीश प्रसाद पुरोहित)
आईएसएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 21/8/16

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/ए-6/कुलदीप सिंह/14/वो.-111
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग भरतपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा करोली
3. प्रधानाध्यापक रामावि गढमोरा करोली.
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर